ओसामा को जीतने मत देना : शाह

- शहाबुद्दीन का नाम लेकर आरजेडी पर साधा निशाना
- कहा—सीवान की जनता ने कभी डर के आगे सिर नहीं झुकाया

सीवान, 24 अक्टूबर. बिहार विधानसभा चुनाव के संग्राम में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीवान की रैली से आरजेडी पर सीधा हमला बोला. उन्होंने लालू यादव द्वारा रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी और जनता से अपील की—सीवान वालों, ओसामा को जीतने मत देना, जंगलराज को वापस नहीं आने देना.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सीवान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में फिर से लालू-राबड़ी के जंगलराज की वापसी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने शहाबुद्दीन का नाम लेकर आरजेडी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि सीवान की जनता ने दो दशकों तक लालू के शासनकाल की अराजकता झेली, लेकिन कभी झुकी नहीं.

शाह ने कहा, लालू यादव ने रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है. लेकिन मैं सीवान की जनता से कहने आया हूं—उसे जीतने मत देना. 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो मोदी और नीतीश के राज में किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते.

उन्होंने शहाबुद्दीन के आपराधिक रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा, 20 साल तक सीवान में ए-कैटेगरी हिस्ट्रीशीटर राज करता रहा. 75 केस, दो उम्रकैद, ट्रिपल मर्डर, एसपी सिंघल पर हमला—लेकिन सीवान की जनता ने कभी सरेंडर नहीं किया. आप लोगों ने ओम प्रकाश यादव को सांसद बनाकर उसका जवाब दिया.

अमित शाह ने कहा कि उन्होंने बिहार भाजपा को स्पष्ट कहा था कि मेरा पहला दौरा सीवान का ही होना चाहिए. उन्होंने कहा, मैं सीवान की जनता को सलाम करने आया हूं, जिसने लालू-राबड़ी के आतंक को झेलते हुए भी लोकतंत्र को जिंदा रखा.

> सभा में शाह ने जनता से पूछा, क्या आप शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट देंगे? भीड़ से एक स्वर में 'नहीं' की आवाज आई. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में दीवाली और छठ के साथ असली दिवाली 14 नवंबर को तब मनाई जाएगी, जब लालू के बेटे की हार होगी और जंगलराज की विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. शाह ने अपने भाषण के अंत में कहा कि सीवान की धरती एक बार फिर सुशासन की जीत का संदेश देगी. बिहार में मोदी-नीतीश की सरकार विकास का नया अध्याय लिखेगी.

नगरीय ढांचा का हो रहा समग्र विकास

लखनऊ, 24 अक्टूबर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय अवसंरचना के समग्र विकास के लिए कई परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं.

योगी ने एक्स पर लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय अवसंरचना के समग्र विकास के लिए कई परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं. जहां एक ओर अमृत और मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने नगरों में सभी तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर जीआईएस सर्वेक्षण और आईसीसीसी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर शहरों को और स्मार्ट एवं स्वच्छ बनाया जा रहा है.

> उन्होने कहा अमृत 1.0 के अंतर्गत 9.21 लाख से अधिक जल कनेक्शन और 8.77 लाख से अधिक सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं. साथ ही अमृत 2.0 के अंतर्गत 43 लाख जल कनेक्शन और 5 लाख सीवर कनेक्शन प्रस्तावित हैं. इसी का परिणाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में सुधार हुआ है तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है.

motilal oswal Home Finance — मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड — मांग सूचना

कॉर्पोरेट कार्यालयः मोतीलाल ओसवाल टावर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025। ईमेलः hfquery@motilaloaswal.com
CIN No.: U65923MH2013PLC248741

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (MOHFL) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का अनुरोध किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह उचित विश्वास है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत हैः

स.क्र.	ऋण अनुबंध संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/सह-आवेदक का नाम, गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि और बकाया	अचल संपत्ति का विवरण
1	खाता संख्याः LXMOINDO124-250778937 उधारकर्ताः विक्रम फर्नांडीज, सह-उधारकर्ताः मोतीन फर्नांडीज, सह-उधारकर्ताः विनीता चौहान	10-10-2025 / रु. 1,295,653/- (बारह लाख पिनच्यानवे हजार छह सौ तिरेपन मात्र)	फ्लैट नंबर 301, प्लॉट नंबर 14, क्षेत्रफल माप 650 वर्ग फुट, सर्व सम्पन्न नगर बिचौली हप्सी मेन रोड हनुमान मंदिर 452016 इंदौर मध्य प्रदेश
2	खाता संख्याः LXIND00317-180057898 उधारकर्ताः उर्मिला शर्मा सह-उधारकर्ताः दिनेश शर्मा	10-10-2025 / रु. 556595/- (पाँच लाख छप्पन हजार पाँच सौ पिनच्यानवे मात्र)	मकान नंबर 223 गौरी नगर खातीपुरा 452001 इंदौर मध्य प्रदेश
3	खाता संख्याः LXPIT00117-180051620 उधारकर्ताः शारदा रामकुमार साहनी सह-उधारकर्ताः रामकुमार फूल चंद साहनी	10-10-2025 / रु. 499018/- (चार लाख निन्यानवे हजार अठारह मात्र)	प्लॉट पटवारी हल्का नंबर 15 ख.नं.133/1 ग्राम मगर में खेड़ी कसरावद खरगांव 451228 कसरावद इंदौर मध्य प्रदेश

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि MOHFL एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।
यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो MOHFL अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति(संपत्तियों) पर कब्जा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उसे हस्तांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। MOHFL को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति(यों) को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, MOHFL को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य MOHFL को देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत MOHFL को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।
ऋणकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत ऋणकर्ता(ओं) को MOHFL की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 25.10.2025
अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा

सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत

- संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रिया पर जयशंकर ने उठाए सवाल
- कुछ सदस्यों का आतंकवाद पर दोहरा मापदंड उठाता चिंता

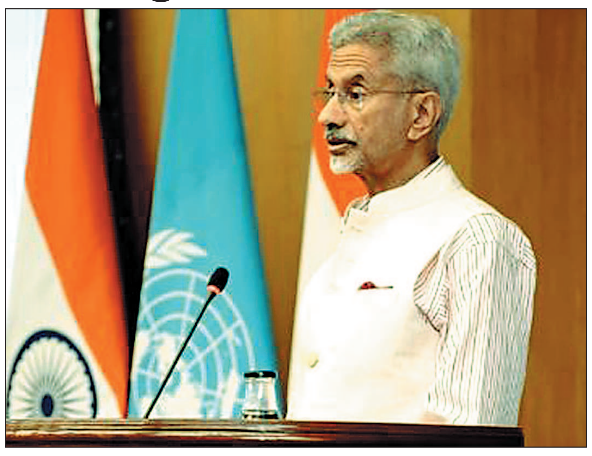

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की वकालत करते हुए कहा कि मौजूदा निर्णय प्रक्रिया वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कुछ सदस्यों के आतंकवादी संगठनों के खुले समर्थन से संस्था की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों को भी रेखांकित किया.

संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी स्मारक डाक टिकट समारोह में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा निर्णय प्रक्रिया न तो सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को प्रतिबिंबित करती है और न ही वैश्विक प्राथमिकताओं का ध्यान रखती है.

> उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब आतंकवादी संगठनों का खुले तौर पर समर्थन किया जाता है, तो वैश्विक रणनीति की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ता है. विदेश मंत्री ने ग्लोबल साउथ के देशों के विकास और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर भी ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों की धीमी गति, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता, और राजनीतिक प्रभुत्व के मुद्दों को वैश्विक संकट मापने के महत्वपूर्ण पैमाने बताया.

इसके अलावा, परिषद की बहसें तीव्र ध्रुवीकरण का शिकार हो रही हैं और कामकाज स्पष्ट रूप से अवरुद्ध है. जयशंकर ने वित्तीय संकट और अंतरराष्ट्रिय शांति के संरक्षण में सुरक्षा परिषद की भूमिका पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कुछ देशों द्वारा आतंकवाद के प्रति दोहरे मापदंड अपनाने की आलोचना करते हुए कहा कि इससे बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता प्रभावित होती है.

सरकारी धन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, तीस गिरफ्तार

जयपुर, 24 अक्टूबर. राजस्थान में झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटरडाउन के तहत सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले एक विशाल अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने गुरुवार को बताया कि यह देश में पहली बार हुआ है जब केंद्र और राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं (पीएम किसान सम्मान निधि, पेंशन, मुआवजा आदि) में इतनी बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा किया गया है.

कुमार ने बताया कि गिरोह का सरगना दौसा निवासी रामावतार सैनी, सरकारी पोर्टल (जैसे डीएमआईएस) की तकनीकी जानकारी का फायदा उठाकर अपात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाता था. वह सामान्य लोगों से बैंक खाते और पहचान दस्तावेज खरीदकर, सिस्टम को धोखा देकर राजकोष से लाखों की सहायता राशि उनके खातों में स्थानांतरित करवाता था.

सरकारी योजना में घपला

इस राशि में से 50 से 75 प्रतिशत तक कमीशन सरगना और उसके एजेंट रखते थे. उन्होंने बताया कि झालावाड़ पुलिस को आठ अगस्त को एक गोपनीय शिकायत मिली थी कि कामखेड़ा क्षेत्र में आशिक नामक व्यक्ति द्वारा सरकारी योजना में घपला किया जा रहा है. इस पर तुरंत साइबर थाना पर शिकायत दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू करवाई. पुलिस ने सबसे पहले संदिग्ध आशिक के मोबाइल नंबर से लिंक कई बैंक खातों और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की गहनता से जाँच की. शुरू में ही पता चल गया कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं है. इसके बाद इस मामले की तह में जाने पर दौसा के राजुलाल सैनी और फिर बांदीकुई के रामावतार सैनी की जानकारी मिली.

आज का इतिहास

1917 : बोल्शेविक (कम्युनिस्टों) व्लादिमीर इलिच लेनिन ने रूस में सत्ता हथिया ली.
1920 : राजस्थान के पूर्व 6ठें सीएम बरकतुल्लाह ख़ान का जन्म.
1924 : भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाषचंद्र बोस को गिरफ्तार कर दो साल के लिए जेल भेज दिया.

जाहिर सूचना

प्रकोष्ठ क्रमांक 106 लाल बाग लाईफ पुराना आरटीओ के सामने केसर बाग रोड इंदौर प्रकोष्ठ क्रमांक 507 लाल बाग लाईफ पुराना आरटीओ के सामने केसर बाग रोड इंदौर (भूमि सर्वे नम्बर 1464 / 2 लगायत 1464 / 9 रकबा 0.321 हैक्टेयर कस्वा इंदौर पर निर्मित)

सूचित होवे कि प्रकोष्ठ क्रमांक 507 लाल बाग लाईफ पुराना आरटीओ के सामने केसर बाग रोड इंदौर को क्रय करने का अनुबन्ध लेख राम बिनोद सिंह पिता यामुन सिंह के द्वारा एवं प्रकोष्ठ क्रमांक 106 लाल बाग लाईफ पुराना आरटीओ के सामने केसर बाग रोड इंदौर को क्रय करने का अनुबन्ध लेख महेन्द्र सिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा विक्रेतागणो (भूमि स्वामीयों एवं विकासकर्ता) के साथ किया है। यह कि प्रकोष्ठ क्रमांक 507 लाल बाग लाईफ पुराना आरटीओ के सामने केसर बाग रोड इंदौर को राम बिनोद सिंह पिता यामुन सिंह के द्वारा क्रय करने एवं प्रकोष्ठ क्रमांक 106 लाल बाग लाईफ पुराना आरटीओ के सामने केसर बाग रोड इंदौर को महेन्द्र सिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा क्रय करने एवं गृह क्रय ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव मेरे पक्षकार बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एचएलसी 2 जीपीओ इंदौर मे प्रस्तावित हैं। यह उक्त दोनो सम्पति को विक्रय किये जाने मे एवं विक्रय करने के उपरान्त सम्पति को मेरे पक्षकार बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एचएलसी 2 जीपीओ इंदौर पर साम्यिक बन्धक रखे जाने मे किसी व्यक्ति, संस्था बैंक अथवा निकाय को कोई विधिक आपत्ति हो अथवा अन्य कोई हक्क दावा अथवा ऋण अथवा बन्धक अथवा कोई न्यायिक वाद / अपील / रिवीजन निर्णित / विचाराधीन हो तो सम्बन्धित पक्षकार जाहिर सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 सात दिवस के भीतर मय असल दस्तावेजों के अपनी लिखित आपत्ति के साथ मेरे कार्यालय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होवे। बाद अवधि कोई आपत्ति मान्य नही होगी और उक्त सम्पति का विक्रय विलेख पंजीकृत हो जाने के बाद दोनो सम्पत्तियों का पृथक पृथक साम्यिक बन्धक विलेख का पंजीयन मेरे पक्षकार बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एचएलसी 2 जीपीओ इंदौर के हित मे करवा लिया जावेगा।

SHARAD P. SHRIVASTAVA ADVOCATE
Off :211-A, RAUNAK PRATHAM PARADISE, VAIBHAV NAGAR KANADIA ROAD, INDORE (M.P.)

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड — Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
पीथमपुर शाखा: शॉप नंबर डीयूजीएफ-46 एवं डीयूजीएफ-47, संपत्ति नंबर 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स एवं संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, म. प्र. - 453331
इंदौर अर्बन वर्चुअल शाखा: प्लॉट नंबर 4 एवं 5, दुकान नंबर 105,107,109, पहली मंजिल, शेखर सेंट्रल, पलासिया स्क्वायर, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, इंदौर, म. प्र. -452001

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 05110000466 एवं 05110000517/पीथमपुर शाखा) नासीर खान (ऋणी) रुक्शाना बी (सह-ऋणी)	10-07-2025 & ₹ 11,79,450/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल श्रीनाथ टाउन भाटखेड़ी रोड, प्लॉट सी-461 का उत्तरी भाग, भाटखेड़ी, तहसील महू, इन्दौर., म.प्र.-453331 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- प्लॉट नं. सी-480, पश्चिम- कॉलोनी रोड, उत्तर- प्लॉट नं. सी-460, दक्षिण- इसी प्लॉट का शेष भाग	Rs. 11,96,000/-	Rs. 1,19,600/-	भौतिक
2	(लोन कोड नं. 54510000090 एवं 54510000092/ इंदौर अर्बन वर्चुअल शाखा) तरूण कुमार दीक्षित (ऋणी) वरुण कुमार दीक्षित एवं रानू दीक्षित (सह-ऋणी)	14-07-2025 & ₹ 35,25,421/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल एवं प्रथम मंजिल ज्ञानशीला होम्स (सुपर सिटी), ढाबली रोड, प्लॉट नं. एचई 30-B पर मकान, ढाबली इन्दौर, मध्यप्रदेश-453771 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- रोड, पश्चिम- यूनिट नं. जी.ई. -32 बी, उत्तर- यूनिट नं. H.I 31-A, दक्षिण- यूनिट नं. H.I 30-A	Rs. 39,15,000/-	Rs. 3,91,500/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **28-11-2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **29-11-2025 दोपहर 03:00 से सायं 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup**, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दिपक मालवीय (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com**, फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रू. 10,000/-** है।
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 25-10-2025

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा नोटिस

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उधारकताओं से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि को भी लागू ब्याज सहित चुकाएं।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
1	36410430000131 & 48999170003143	1) श्री विक्रम, पुत्र बापूलाल, 2) श्रीमती सीमा बाई, पत्नी विक्रम	21.07.2025, रू. 5,51,502.86 (पाँच लाख इक्यावन हजार पाँच सौ दो और छियासी पैसे मात्र) 13.07.2025 तक	दिनांकः 17.10.2025 समयः दोपहर 11.40 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/भूखंड संख्या 119 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह सर्वेक्षण संख्या 276 का भाग है। यह ग्राम अंतरलिया, पुलिस मुख्यालय संख्या 32 में, ग्राम पंचायत अंतरलिया, जनपद पंचायत खाचरोद, तहसील नागदा एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में सांवरिया के मकान, पश्चिम में खुली भूमि, उत्तर में सड़क एवं दक्षिण में सड़क से घिरा है।			
2	32760440000168 & 51378940007461	1) श्री जीवन सिंह, पुत्र कनीराम, 2) श्रीमती रामकन्या, पत्नि जीवन सिंह	21.07.2025, रू. 3,69,788.90 (तीन लाख उनत्तर हजार सात सौ अठासी और नब्बे पैसे मात्र) 13.07.2025 तक	दिनांकः 17.10.2025 समयः दोपहर 01.55 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/प्लॉट संख्या 80 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 840 वर्ग फुट है, उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 78/1, पुलिस चौकी संख्या 32, वार्ड संख्या 10 का भाग, ग्राम किराड़िया में, ग्राम पंचायत अंतरलिया, जनपद पंचायत खाचरोद, तहसील नागदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में मार्ग, पश्चिम में मार्ग, उत्तर में भारत भूमि और दक्षिण में स्व की खुली भूमि से घिरा है।			
3	36419440000464	1) श्री तूफान सिंह गुर्जर, पुत्र कुवरजी गुर्जर, 2) श्रीमती श्यामू बाई, पत्नि तूफान सिंह गुर्जर	09.07.2025, रू. 1,43,570.35 (एक लाख तिरतालीस हजार पाँच सौ सत्तर और पैंतीस पैसे मात्र) 07.07.2025 तक	दिनांकः 17.10.2025 समयः दोपहर 01.00 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः सर्वेक्षण संख्या 230/1 का वह समस्त भू-भाग, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य, पीएच संख्या 29, ग्राम खुरमुंडी में, ग्राम पंचायत झिरमीरा, तहसील खाचरोद एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में सड़क, पश्चिम में स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि, उत्तर में लाल सिंह की भूमि और दक्षिण में स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि से घिरा हुआ।			
4	45580440000034 & 45588820007196	1) श्री विशाल, पुत्र जगदीश, 2) श्री जगदीश, पत्नी सावा जी, 3) श्रीमती कला बाई, पत्नी जगदीश	28.07.2025, 3,37,234.33 (तीन लाख सैंतीस हजार दो सौ चौंतीस तैंतीस पैसे मात्र) 23.07.2025 तक	दिनांकः 17.10.2025 समयः दोपहर 02.25 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/प्लॉट संख्या 94 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1344 वर्ग फुट है, उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 321 का हिस्सा, ग्राम सिमलावदा खुर्द, नई पुलिस चौकी संख्या 59 और पुरानी पुलिस चौकी संख्या 35 पर स्थित, ग्राम पंचायत सिमलावदा खुर्द, तहसील और जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में सड़क, पश्चिम में सुरेन्द्र सिंह की संपत्ति, उत्तर में माता जी का मंदिर और दक्षिण में सुरेन्द्र सिंह की संपत्ति से घिरा हुआ।			
5	45589630000598 & 45589410000727	1) श्री हेमन्त परमार, पुत्र यशपाल परमार, 2) श्रीमती अनिता परमार, पत्नी हेमन्त परमार, 3) श्रीमती भंवर बाई, पत्नी यशपाल परमार, 4) श्री यशपाल परमार, पुत्र. चुन्नीलाल परमार	07.07.2025, रू. 15,16,525.43 (पंद्रह लाख सोलह हजार पाँच सौ पच्चीस और तिरतालीस पैसे मात्र) 04.08.2025 तक	दिनांकः 17.10.2025 समयः दोपहर 03.15 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/भूखंड संख्या 116अ वाला वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 420 वर्ग फुट (39.02 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य, सर्वेक्षण संख्या 1065/4, 1065/5 और 1065/6 का भाग, समता परिसर कॉलोनी, वार्ड संख्या 27, कस्बा रतलाम, नगर निगम रतलाम, तहसील एवं जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में कॉलोनी रोड, पश्चिम में अन्य के भूखंड, उत्तर में भूखंड संख्या 116इ पर निर्मित मकान और दक्षिण में भूखंड संख्या 115 पर निर्मित मकान से घिरा है।			
6	45589440000841 & 45589410000881	1) श्री सरफराज शाह, पुत्र बुन्दु शाह, 2) श्रीमती परवीन मधुमक्खी, पत्नि सरफराज शाह	21.07.2025, रू. 2,62,016.77 (दो लाख बासठ हजार सोलह और सत्तर पैसे मात्र) 13.07.2025 तक	दिनांकः 17.10.2025 समयः शाम 05.45 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान संख्या 302 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट है, उस पर निर्माण सहित, सर्वेक्षण संख्या 347, पीएच संख्या 17 का एक भाग, ग्राम रिंगनोद में, ग्राम पंचायत रिंगनोद, तहसील जावरा और जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में मदनलाल जी धोबी का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में इंकलाल शाह जी का मकान और दक्षिण में बाबू शाह जी का मकान।			
7	45578240000167 & 47220330006540	1) श्री संजय, पुत्र. प्रभुलाल, 2) श्री प्रभु जी, पुत्र. मंगु जी, 3) श्रीमती इंद्रा बाई, पत्नि प्रभुलाल	21.07.2025, रू. 2,41,182.46 (दो लाख इक्तालीस हजार एक सौ बयासी और छियालीस पैसे मात्र) 13.07.2025 तक	दिनांकः 18.10.2025 समयः दोपहर 12.35 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/प्लॉट संख्या 36 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट है, उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 250, पी.एच. संख्या 49 का भाग, ग्राम मुंजाखेड़ी में, ग्राम पंचायत धबलासिया, जनपद पंचायत महिदपुर, तहसील महिदपुर एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में - आम सड़क, पश्चिम में - गोपाल सिंह, उत्तर में - किशन और दक्षिण में - अमर से घिरा है।			
8	36410430000243 & 36418940032227	1) श्री हाकम सिंह, पुत्र भंवर लाल, 2) श्रीमती पूजा, पत्नि हाकम सिंह	21.07.2025, रू. 3,61,720.00 (तीन लाख इकसठ हजार सात सौ बीस मात्र) 13.07.2025 तक	दिनांकः 18.10.2025 समयः दोपहर 02.00 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/भूखंड संख्या 185 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 575 वर्ग फुट (53.43 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण सहित, पुलिस मुख्यालय संख्या 19, ग्राम निंबोदिया खुर्द में, ग्राम पंचायत निंबोदिया खुर्द, तहसील नागदा एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में कालूनाथ जी का मकान, उत्तर में रमेश जी का मकान और दक्षिण में आम सड़क से घिरा है।			
9	36419630000301 & 36419630000311	1) श्री सहजाद शाह, पुत्र नासिर शाह, 2) श्रीमती सलामा मधुमक्खी, पत्नि सहजाद शाह	21.07.2025, रू. 6,45,848.74 (छह लाख पैंतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस और चौहत्तर पैसे मात्र) 13.07.2025 तक	दिनांकः 18.10.2025 समयः दोपहर 03.00 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान/भूखंड संख्या 112, कुल क्षेत्रफल 280 वर्ग फुट (26.02 वर्ग मीटर) और निर्माण सहित, पुलिस आवास संख्या 01, सावंत पुरा रोड, ग्राम भाटपचलाना, तहसील बड़नगर एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) में स्थित, भूमि का वह पूरा टुकड़ा। पूर्व में बाबूलाल पोरवाल का मकान, पश्चिम में प्रदीप योगी का मकान, उत्तर में आम रास्ता और दक्षिण में पंचायत की सरकारी भूमि।			

चूंकि, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उपरोक्त तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं/गारंटर/बंधककताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 25.10.2025
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)
पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण क्रमांक 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट क्रमांक 306-ए, पीयू 4, स्कीम क्रमांक 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट नं.306-ए, पीयू 4, स्कीम नं.54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर इंदौर-452010।

ई-नीलामी नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पढ़ें।

जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) **"जहां है जैसा है"** और **"जो है जैसा है जैसा है"** के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	दिनांक 13-2 नोटिस	कब्जा की तिथि	वर्तमान बकाया शेष राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य भारतीय रुपये में	बयाना राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रुपये में	ई-नीलामी की तिथि और समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	45579420000984 45579420001069 & 45579410001132	1) श्री दुले सिंह, पुत्र प्रह्लाद सिंह, 2) श्रीमती धापू बाई सिसौदिया, पत्नि दुले सिंह	07.11.2024	20.06.2025	रू. 16,84,083.57 (सोलह लाख चौरासी हजार तिरासी और सत्तावन पैसे मात्र) 06.10.2025 तक	01.11.2025 सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	रु. 8,02,656/- (आठ लाख दो हजार छह सौ छप्पन मात्र)	रू. 80,265.60 (अस्सी हजार दो सौ पैंसठ और साठ पैसे मात्र)	12.11.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	11.11.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट संख्या 306-ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010.
	संपत्ति विवरण/अनुसूचीः भूखंड संख्या 203 का दक्षिणी भाग, कुल क्षेत्रफल 350 वर्ग फुट (32.52 वर्ग मीटर), भूमि सर्वेक्षण संख्या 137/1/3 और 150/3/2 का भाग, ग्राम पंवासा, मक्सी रोड, उज्जैन तहसील और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) में स्थित, भूमि का वह पूरा टुकड़ा। पूर्व में कॉलोनी रोड, पश्चिम में भूखंड संख्या 184 और 185, उत्तर में भूखंड संख्या 203 का शेष भाग और दक्षिण में भूखंड संख्या 202 से घिरा हुआ।									

संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है जैसी है" के आधार पर रखी जा रही हैं और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी। उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान जन लघु वित्त बैंक के पक्ष में किए जाएँगे। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क कर सकते हैं; श्री विकास केटेले से संपर्क करें, संपर्क संख्याः 8712637550। ईमेल आईडीः info@bankauctions.in /vikas@bankauctions.in। ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित्त बैंक के अधिकारी श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार और संपत्ति के स्वामित्व के बारे में स्वतंत्र रूप से पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में भी एक सूचना है। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक खर्चों सहित, का भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 25.10.2025, स्थानः इन्दौर
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड